न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, अलवर (राज0)

अपील संख्याः– 12/123/2024 रजू दिनांकः 17.09.2024 रजि0 न0 2024/220

अपीलार्थीः–

श्री नमेन्द्र शर्मा पुत्र श्री जीवनराम शर्मा, नि0 जनता कॉलोनी अलवर, जिला अलवर 301001 (राज0)

प्रत्यर्थीः–

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन नगर विकास न्यास अलवर, जिला अलवर (राजस्थान) 301001

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

––:: निर्णय ::––

दिनांकः– 04.11.2024

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा–6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 03.07.2024 प्रस्तुत कर वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हे उपलब्ध नही कराई गई। अतः वांछित सूचना दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील दिनांक 01.09.2024 प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में प्रत्यर्थी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 23.09.2024 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया तथा प्रत्यर्थी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रत्यर्थी ने जरिये पत्र कमांक य0आई0टी0/आर0टी0आई/2024/7011 दिनांक 24.10.2024 प्रस्तुत कर अवगत कराया है, कि अपीलार्थी नमेन्द्र शर्मा पुत्र श्री जीवनराम शर्मा, नि0 जनता कॉलोनी अलवर, जिला अलवर द्वारा आवेदन कमांक 3397/04.07.2024 दिनांक 03.07.2024 से 2 बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी, न्यास द्वारा अपीलार्थी को पत्रांक 6836 दिनांक 18.10.2024 से बिन्दु संख्या 1 में निर्धारित शुल्क जमा हेतु सूचित किया जा चुका है। बिन्दु संख्या 2 में चाही गई सूचना न्यास की वैबसाइट से प्रति ऑनलाईन डाउनलोड कर प्राप्त कर सकता है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया एवं जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। अपील में प्रस्तुत किए गए तथ्यों, प्रथम आवेदन दिनांक 03.07.2024 एवं इस परिपेक्ष्य में प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब का विधिक परीक्षण/अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा 2 बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी। न्यास द्वारा अपीलार्थी को पत्रांक 6836 दिनांक 18.10.2024 वांछित सूचना से सूचित किया अवगत कराया है। जबकी अपीलार्थी द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत प्रथम अपील दिनांक 01.09.2024 के उपरान्त प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 में वर्णित नियत समयावधि पश्चात जवाब भिजवाया गया है। साथ ही अपीलार्थी को बिन्दु संख्या 2 के कम में वांछित सूचना प्राप्त किये जाने हेतु न्यास की वैबसाइट का अंकन भी नहीं किया गया है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है।
6. उक्त आलोक में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है। निर्णय प्राप्ति के अधिकतम 15 दिवस में आवश्यक रूप से जरिये पंजीकृत पत्र के माध्यम से वांछित सूचना पूर्ण अंकन (बिन्दु संख्या 2 में वैबसाईट का अंकन) सहित अधिप्रमाणित कर अपीलार्थी को निशुःल्क उपलब्ध कराई जावे। साथ ही प्रत्यर्थी को निर्देशित किया जाता है, कि सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों का नियत समयावधि में विधिवत निस्तारण की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को भिजवाई जावें।
7. निर्णय आज दिनांक 04.11.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
8. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर अलवर
(राजस्थान)